

22.10.18

वकील जलवादी उपाध्येत/वादी व उनके अभिभाषक
उपाध्येत नवी/वादी व उनके अभिभाषक को
बार-बार आवार्ज लागवाये जागे के बावजूद
भी वादी व उनके अभिभाषक उपाध्येत नही
आये। अतः दावा वादी कदम हाजरी कदम
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केशल
शुभा (चेकर द्वारा विल दफ्तार है)

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)